

प्रेस-विज्ञप्तिथाना अतरौलियाकिशोरी को भगाने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व का विवरण - दिनांक 14.04.2023 को वादी मुकदमा ने तहरिर दिया था कि वादी की नाबालिग लड़की सुबह घर से विद्यालय के लिए निकली लेकिन वापस घर नहीं आयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 101/23 धारा 363 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि अभियुक्त सुरेन्द्र निषाद उर्फ मुलायम पुत्र गंगाराम निषाद निवासी जीवत जीवट किछौछा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर, वादी की लड़की को भगा ले गया है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 26.08.2023 को उ0नि0 प्रभात चन्द पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सुरेन्द्र निषाद को रोडवेज अतरौलिया से करीब समय 07.52 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 101/23 धारा 363/366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- सुरेन्द्र निषाद उर्फ मुलायम पुत्र गंगाराम निषाद निवासी जीवत जीवट किछौछा थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 प्रभात चन्द
2. हे0का0 राम कृष्ण गौड़
3. सुशील चौधरी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीरनाबालिग को भागने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 15.01.23 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि शाम को पांच बजे वादी की लड़की घर से कहीं चली गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-12/2023 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त राजेश पंडित पुत्र बिलास पंडित साकिन जगदीशपुर थाना जगदीशपुर जिला भागलपुर राज्य बिहार, वादी की नाबालिग लड़की को भगा ले गया है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 26/08/2023 को उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राजेश पंडित पुत्र बिलास पंडित साकिन जगदीशपुर थाना जगदीशपुर जिला भागलपुर राज्य बिहार उम्र करीब 22 वर्ष को ग्राम कौरागहनी नहर पुलिया से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 12/23 धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

राजेश पंडित पुत्र बिलास पंडित साकिन जगदीशपुर थाना जगदीशपुर जिला भागलपुर राज्य बिहार उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 हृदयानन्द पाठक थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

का0 इंग्लेश यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

का0 उपेन्द्र यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर

प्रतिबन्धित पशु के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार; कब्जे से 01 ट्रक, 09 जिंदा गोवंश, 01 अवैध तमंचा व

01 जिंदा कारतूस.315 बोर बरामद

दिनांक 25-08-2023 को SHO यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह को जरिये मुखबीर सूचना मिली की कुछ लोग एक ट्रक पर गाय को लादकर दोहरीघाट से आजमगढ़ के रास्ते वध हेतु बिहार ले जाने वाले है। सूचना पर लाटघाट पुलिस चौकी के पास से चेकिंग के दौरान अभियुक्तो 1. रवि कुमार पुत्र दीलमोहन ग्राम खुरासो थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ 2. अजय पथरकट पुत्र सुबाष ग्राम कोठवा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को गोवंश लदे ट्रक के साथ समय करीब 23:10 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तो के कब्जे से 01, ट्रक में 09 जिंदा गोवंश व 01 अवैध तमंचा के साथ 01 जिंदा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 581/2023 धारा 3/5A/8गोबध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 420,467,468,471 भादवि व मु0अ0सं0 582/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1. रवि कुमार पुत्र दीलमोहन ग्राम खुरासो थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़
2. अजय पथरकट पुत्र सुबाष ग्राम कोठवा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण- 01 ट्रक , 09 जिंदा गोवंश व 01 अवैध तमंचा के साथ 01 जिंदा कारतूस 0.315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 581/2023 धारा 3/5A/8गोबध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 420,467,468,471 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 582/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना पवई

चोरी की घटना का सफल अनावरण; 02 बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में

पूर्व की घटना- दिनांक 25.8.2023 को वादी मुकदमा प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र राजमन मिश्रा ग्राम सौदामा (मित्तपुर) थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 24.08.23 की रात्रि में अज्ञात चोरो ने द्वारा वादी के ट्यूबेल पर लगे झटका मशीन व बैटरी को चुरा लिया है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 270/23 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 26.08.2023 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 02 बाल अपचारियों को दत्तापुर से समय करीब समय करीब 10.15 बजे पुलिस संरक्षण में लिया तथा उनके कब्जे से झटका मशीन व बैटरी बरामद किया गया। संरक्षण मे लिये बाल अपचारियों को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 270/23 धारा 379/411 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- झटका मशीन व बैटरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि० धर्मेन्द्र कुमार, 2. हे0का0 मो0 इस्लाम, 3. का0 लोकेश प्रताप सिंह थाना पवई, आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर

दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 25/08/2023 को वादिनी विट्टन राय पत्नी विजय राय निवासी मिर्जापुर ठेकमा थाना बरदह जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया था कि मेरी बेटी निधि की शादी दुर्गेश राय उर्फ मटरू पुत्र कमलेश राय निवासी मालटारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के साथ हुई थी। दहेज में 02 लाख रूपया व बुलेट मोटर साईकिल के लिये उसके ससुराल वालो ने उसे प्रताड़ित किया तथा न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 579/2023 धारा - 498ए/304बी भादवि बनाम 1- पति दुर्गेश राय उर्फ मटरू पुत्र कमलेश राय 2. आशा देवी पत्नी कमलेश राय 3. कमलेश राय पुत्र श्रीराम राय निवासीगण मालटारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 26-08-2023 को उ0नि0 नीलमणि सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो 1. कमलेश राय पुत्र श्रीराम राय ग्राम मालटारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. आशा देवी पत्नी कमलेश राय ग्राम मालटारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्तो के घर से समय करीब 13.05 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1. कमलेश राय पुत्र श्रीराम राय ग्राम मालटारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. आशा देवी पत्नी कमलेश राय ग्राम मालटारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 - 579/2023 धारा - 498ए/304बी भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नीलमणि सिंह थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. का0 सिकन्दर बासफोर थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0 दुष्यन्त वर्मा थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. म0का0 नीलम देवी थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 25/08/2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त 1. राजवन्त सिंह पुत्र रामबदन सिंह निवासी हरसिंहपुर पो0 सगड़ी जनपद आजमगढ़ ने वादिनी को अपने प्रेम जाल में फसाया तथा बात न करने पर मम्मी पापा को जान से मारने की धमकी देते हुए मेरा शारिरिक व मानसिक शोषण किया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 580/2023 धारा 354,506 भादवि व 3(2)I एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 26/08/2023 को उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह द्वारा मु मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजवन्त सिंह पुत्र रामबदन सिंह निवासी हरसिंहपुर पो0 सगड़ी जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय करीब 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- राजवन्त सिंह पुत्र रामबदन सिंह निवासी हरसिंहपुर पो0 सगड़ी जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 580/2023 धारा 376,506 भादवि व 3(2)I एससी एसटी एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना- कोतवाली
अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.08.2023 को उ0नि0 राजीव कुमार सिंह, उ0नि0 राजकिशोर शर्मा मय हमराह द्वारा घण्टाघर के पास संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध असलहा लेकर आटीओ चौराहे से आ रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा बवाली मोड़ के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त रंजीत सैनी पुत्र मोती सैनी निवासी ग्राम रामलीला मैदान थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 31 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 अवैध तमन्चा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामदगी व गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थानास्थानीय पर मु0अ0सं0 480/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- रंजीत सैनी पुत्र मोती सैनी निवासी ग्राम रामलीला मैदान थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 31

बरामदगी- 01 अवैध तमन्चा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 480/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 राजीव कुमार सिंह (थाना कोतवाली आजमगढ़)।
02. उ0नि0 राजकिशोर शर्मा
03. का0 बसन्त लाल (थाना कोतवाली आजमगढ़)
04. का0 काशी कुमार (थाना कोतवाली आजमगढ़)